

# 2024/23

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

अमानत खर्चा बनाम खर्चा

प्रकरण संख्या :- ✓ 2023 15/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/02/24	<p>पतावली तहसीलदार आमेर के पतांक  मु. अ. /2024/86 दि. 09/01/2024 द्वारा  प्रशासन गांवो के संग का डाफ्ट हुआ।  श.प.च दर्ज रजिस्टर होवे। नोडिम  जारी हो।</p> <p>पतावली वारन्त तलबी के दि.  13/02/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी  आमेर, जिला- जयपुर</p>	<p>अमानत खर्चा</p> <p>(दीर्घनामपत्र)</p>
	13/2/24	<p>पतावली पेश हुई। उमथ पत्र उपस्थित।  उमथ पत्र से मुता. गया। पतावली का  अवलोकन किया गया। प्रार्थना का प्रमाण  नहीं मिला। निर्णय सं. उमथ/व.स.स. के  आधार पर न्यायक्षेत्र में स्वीकार किया।  जाता है। आदेश मुता. गया। विस्तृत  आदेश प्रेषण में लिया गया। पतावली  पेश हुआ। मुता. रजि. न.स. से रजि.  हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी  आमेर, जयपुर</p>	

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या :- 15 / 2024

जीसीएमएस नं० :- 2024 / 23

उनवान :- भगवान सहाय बनाम सरकार


::- आदेश -::

दिनांक: 13.02.2024

तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भू.अ./2024/86 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रशासन गँवों के संग अभियान में प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः प्रा०पत्र के सलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम अरनिया की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 30 में भगवानसहाय पुत्र बिडदा के स्थान पर भगवानसहाय पुत्र बिरदूराम शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



  
उपखण्ड अधिकारी  
आमेर उपखण्ड अधिकारी  
आमेर जयपुर